

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकार हुक्म की में ज
19 <sup>2</sup> / <sub>12</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय सप.  अनुपां / पीठार / अधिकारी  तैरे म / मय कार्य में अस्त।  पत्रावली / स. / आर्द्विदा  दिनांक-4.12.17 को पेश हो</p>	
4.12.17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय सप.  अनुपां / पीठार / अधिकारी  तैरे म / मय कार्य में अस्त।  पत्रावली / स. / आर्द्विदा  दिनांक-9-1-18 को पेश हो</p>	
9-1-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय सप.  अनुपां / पीठार / अधिकारी  तैरे म / मय कार्य में अस्त।  पत्रावली / स. / आर्द्विदा  दिनांक-13-3-18 को पेश हो</p>	
24 <sup>04</sup> / <sub>18</sub>	<p>हस्तावली पेश की जा रही है।  अनुपां / पीठार / अधिकारी  तैरे म / मय कार्य में अस्त।  पत्रावली / स. / आर्द्विदा  दिनांक-19.6.18 को पेश हो</p>	
<p>No objection  (Cm) 19/6/18  प्रतिवादी  प्रतिवादी</p>	<p>19<sup>06</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान  द्वारा आपके द्वारा - 2018 के तहत कम्प्लेक्स  अदालत सेवा केंद्र निर्माण में पेश हुई। वकील  प्रतिवादी नं. 1 की ओर से पूर्व में पेश ज.  पत्रावली कार्यवाही अर्थात् पर वकील  वादी द्वारा जोर आपति दर्ज नहीं काले पर  उपरोक्त पत्रावली कार्यवाही अर्थात्  स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादी नं. 1 के  विरुद्ध आपति पत्रावली कार्यवाही  अर्थात् की जाती है।  वादी तथा प्रतिवादी नं. 1 की ओर से  पत्रावली पेश हुआ। वादी की पहचान की</p>	

<p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
--	--

रीट  
। इ  
ली  
ए

रामेश्वर लाल तैतवाल एड. ने की तथा उत्तिवादी  
ने.। की पहचान श्री बन्वारी लाल जांगू ने  
की। उपस्थित पक्षकारों को राजीनामा पढकर  
सुनाया गया जिसे सुन व समझकर उपस्थित  
पक्षकारों द्वारा सही ठहारा स्वीकार किया  
गया अतः हस्तक्षेप पक्षकारों राजीनामा  
बाद तस्वीक शामिल पत्रावली किया गया।

बल्लभ उमयपक ने मुताबिक राजीनामा  
दावा डिकी फामाया जाने का निवेदन किया जिसे  
पर भूमिधारी तस्वीकदार खण्डेला ने कोई आपत्ति  
जाही नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,  
पैराशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया  
जिनके अवलोकन तथा सैल अदालत की  
भावना से वादी का वाद स्वीकार किया जाने  
योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है  
तथा घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तब ग्राम नीमडा तहसील खण्डेला जिला सीकर  
में उपस्थित कृषि भूमि ख. नं. 895, 896, 897,  
910, 911 एका 1.27 हे. में से ख. नं. 895  
लगायत 897 एका 1.20 हे. सम्पूर्ण का वादी को  
आदेशकार आशतकार घोषित किया जाना उक्त  
हिस्से से उत्तिवादी ने.। का नाम हजफ किया  
जाता है। ख. नं. 910, 911 एका 1.07 हे. सम्पूर्ण  
का उत्तिवादी ने.। को आदेशकार आशतकार घोषित  
किया जाता है। उक्तबुसार राजस्व रिकॉर्ड में  
अप्रल दाखल हो। तदनुसार पचा डिकी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नं आ हुक
1	<p>जारी है। फावली फेंसल श्रावण होकर मन्वार से कम हो तथा बांध तलपौल दाखिल दफतर है। निर्णय सजमें आज सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">13/6/18  <b>आगीरथ शाख</b>  <b>(RAS)</b>  असहायक कलक्टर  (कास्ट ट्रेक) इलाहाबाद</p>	
9		

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शास्त्री, RAS

उनवान

भागूराम \* वनाम श्री लक्ष्मण \*

दावा वाकत रकतकाट हक स्वार्थ निषेधाता

मुकदमा नम्बर :- 184/2014

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शास्त्री, RAS व हाजिरी

मिनजानिव मुददई रुबरु श्री रामेश्वर तैतवाल

मिनजानिव मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम तीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि  
ख. नं. 895, 896, 897, 910, 911 कवा 2.27 है, में से ख. नं. 895 लगात  
897 कवा 1.20 है, सम्पूर्ण का नादी को छातेमा काशतकाट घोषित किया  
जाका उक्त हिस्से में उत्तिवादी नं. 1 का नाम हजफ किया जाता है। ख. नं.  
910, 911 कवा 1.07 है, सम्पूर्ण का उत्तिवादी नं. 1 को छातेमा काशतकाट  
घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व लेाई में अमल दामद है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

प्रह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शास्त्री  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
द पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
क्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
दर्शों के लिए स्टाम्प	रुपया
..... रुपये पर प्लीडर की	रुपया
क्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
मेशनर की फीस	अर्जी के लिए स्टाम्प
देशिका की तामील	प्लीडर की फीस
	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय
	आदेशिका की तामील
	कमिशनर की फीस
जोड़	जोड़

\* दत्तक पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी नीमडोडा  
तह. खण्डेला जिला सीकर राज.

- वादी




खनाम

\* दत्तक पुत्र बीजा जाति जाट निवासी नीमडोडा तह.  
खण्डेला जिला सीकर राज.

② भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ।

- प्रतिवादीगण

  
भागीरथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला